

कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

विज्ञप्ति

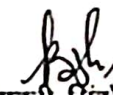
माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आयोजित वर्ष 2026 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता, गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा विधि व्यवस्था अक्षुण्ण रखने एवं नकल विहीन परीक्षा कराने हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1508/15-7-2025-01(14)/2022 दिनांक 01 नवम्बर 2025 द्वारा नीति/मानक निर्धारित किये गये हैं।

शासनादेश में विहित व्यवस्थानुसार ऑनलाइन प्रक्रिया से परीक्षा केन्द्रों को दिनांक 10 नवम्बर, 2025 से प्रारम्भ कर दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 तक पूर्ण कराये जाने की समय-सारणी निम्नवत निर्धारित की गयी है:-

क्रम	परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु विभिन्न गतिविधियां	निर्धारित तिथि
1-	परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु विद्यालयों की अवस्थापना सम्बन्धी भौतिक संसाधन युक्त विविध सुविधाओं एवं आधारभूत सूचनाओं को परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अपलोड करने की अंतिम तिथि।	10 नवम्बर, 2025 तक
2-	परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की गयी आधारभूत सूचनाओं तथा जियोलोकेशन का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा गठित तहसील स्तरीय समिति के माध्यम से कराये जाने की अंतिम तिथि।	17 नवम्बर, 2025 तक
3-	विद्यालयों के भौतिक सत्यापन के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा गठित तहसील स्तरीय समिति की अभ्युक्ति सहित आख्या को जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से ऑनलाइन परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड/अपडेट कराये जाने की अंतिम तिथि।	24 नवम्बर, 2025 तक
4-	परिषद की वेबसाइट पर जिलाधिकारी द्वारा गठित तहसील स्तरीय समिति द्वारा प्रमाणित/अपडेट करायी गयी विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं के आधार पर ऑनलाइन प्रविधि से चयनित परीक्षा केन्द्रों (विद्यालय छात्र आवंटन सहित) की सूची सार्वजनिक करते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के अवलोकनार्थ तथा परीक्षण हेतु परिषद द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि।	27 नवम्बर, 2025 तक
5-	डिबार/मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही गतिशील होने वाले विद्यालयों एवं अनर्ह विद्यालयों की सूची को परिषद के पोर्टल पर प्रदर्शित करने की तिथि।	28 नवम्बर, 2025 तक
6-	ऑनलाइन चयनित केन्द्र निर्धारण सूची को जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा प्रधानाचार्यों के सम्यक् परीक्षण हेतु अपने जनपदों में समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर छात्र/अभिभावक/प्रधानाचार्य/प्रबन्धक के आपत्तियों/शिकायतों से सम्बन्धित प्रत्यावेदन को ऑनलाइन माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल upmsp.edu.in पर प्राप्त करने की तिथि।	04 दिसम्बर, 2025 तक
7-	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा छात्र/अभिभावक/प्रधानाचार्य/प्रबन्धक से प्राप्त आपत्तियों का सम्यक् परीक्षण कर उनका समयान्तर्गत निस्तारण करना तथा आपत्तियों के तार्किक एवं औचित्यपूर्ण पाये जाने पर जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति से अनुमोदित आख्या/संस्तुति सहित परिषद की वेबसाइट पर ही ऑनलाइन अग्रसारित करने की तिथि।	11 दिसम्बर, 2025 तक
8-	परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अग्रसारित जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति से अनुमोदित विद्यालय छात्र आवंटन सहित परीक्षा केन्द्रों की सूची को वेबसाइट पर सर्वसम्बन्धित के सूचनार्थ अपलोड करने की तिथि।	17 दिसम्बर, 2025 तक

9-	ऑनलाइन साफ्टवेयर के माध्यम से निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के त्रुटि/विरागति एवं छात्र/अभिभावक/प्रधानाचार्य/प्रबन्धक के प्रत्यावेदन/आपत्तियों के निराकरण के पश्चात जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के अनुमोदनोपरान्त परिषद की वेबसाइट पर अपलोड/प्रदर्शित किये गये परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में यदि किसी संस्था के छात्र/अभिभावक/प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को पुनः कोई आपत्ति है तो इस पर अपनी आपत्ति/प्रत्यावेदन ऑनलाइन माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल upmsp.edu.in पर प्रस्तुत करने की तिथि।	22 दिसम्बर, 2025 तक
10-	जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति के अनुमोदनोपरान्त परिषदीय केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा परिषद के पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों के परीक्षणोपरान्त उसका निराकरण करते हुए विद्यालय छात्र आवंटन सहित परीक्षा केन्द्रों की सूची को अन्तिम रूप प्रदान कर उसे परिषद की वेबसाइट पर सर्वसम्बन्धित के सूचनार्थ अपलोड करने की तिथि।	30 दिसम्बर, 2025 तक

अतः वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की संवेदनशीलता एवं सम्यक्वृत्ता के दृष्टिगत शारान द्वारा निर्धारित उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण की कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाना अनिवार्य होगा।


(राजिवी सिंह)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-मा0शि0प0/केन्द्रस्थापना-16/ 333(01-13) /2025-2026 दिनांक: नवम्बर, 2025
उपर्युक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्र के सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति जनहित से सम्बन्धित है। अतएव इसे अपने दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रमुख स्थान पर निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त पुलिस कमिश्नर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सम्पादक, मा0शि0प0, शिविर कार्यलय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
6. अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार), पत्राचार शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
7. अपर शिक्षा निदेशक (मा0/वे0) शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
8. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10. अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/मेरली/प्रयागराज/वाराणसी/गोरखपुर।
11. अनु सचिव, शिक्षा-7 अनुभाग उत्तर प्रदेश शारान, लखनऊ।
12. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।


(राजिवी सिंह)
सचिव।